

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-51/2014

/कृ०, पटना, दिनांक

2016

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स फ्रन्टीयर एग्रोटेक प्रा० लि०,
खेसरा नं०-1319, खाता नं०-361,
मौजा पहाड़ी, मसौढ़ी रोड, पटना-800007

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 134 दिनांक 25.02.2015 वैद्यता तिथि 31.12.2016 मे इन्डोर्समेन्ट के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के आलोक में मेसर्स ई०आई० ड्यूपोंट इण्डिया प्रा० लि० द्वारा विनिर्मित तीन कीटनाशियों का अनुज्ञप्ति संख्या 134 दिनांक 25.02.2015 वैद्यता तिथि 31.12.2016 के अन्तर्गत इन्डोर्समेन्ट किया जाता है।

क्र० सं०	विनिर्माण कम्पनी का नाम	कीटनाशी का नाम	रजिस्ट्रेशन नं०
1	M/S E.I. Dupont India Ltd.	Picoxystrobin 22.52% SC	CIR-1538/2014(347)-Picoxystrobin (SC)-02
2		Picoxystrobin 6.78% w/w+Tricyclazole 20.33% w/w SC	CIR-1887/2016 (365/366)-Picoxystrobin +Tricyclazole (SC)-01
3		Metsulfuron methyl 10% w/w +Carfentrazone Ethyl 40% w/w DF	CIR-1874/2016(363)-Metsulfuron methyl +Carfentrazone Ethyl (DF)-01

2-उपर्युक्त कीटनाशियों का भंडारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:- मेसर्स फ्रन्टीयर एग्रोटेक प्रा० लि०, खेसरा नं०-1319, खाता नं०-361, मौजा पहाड़ी, मसौढ़ी रोड, पटना-800007

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चेरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

/कृ०, पटना, दिनांक 17/11/2016

ज्ञापांक

4778

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (सव्य) उपादान, बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।